

भारत सरकार
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी.
निधि भवन, द्वितीय तल
गुवाहाटी- 781029 (असम)
दूरभाष- 2302771 फ़ैक्स-2302725
ई-मेल: assam.gdc.sol@gov.in



GOVT. OF INDIA
SURVEY OF INDIA
ASSAM & NAGALAND GDC
NIDHI BHAWAN, 2ND FLOOR
GUWAHATI – 781029 (ASSAM)
TELEPHONE – 2302771 FAX – 2302725
e-mail : assam.gdc.sol@gov.in

सं० 89 / 37-जी-9

दिनांक 21 फरवरी 2020

असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी. नेमी आदेश सं. 03 (प्रशा०) दिनांक 21 फरवरी 2020

1. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ पदोन्नति
(Ad-hoc promotion to the Post of Suptdg. Surveyor)

भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं.सी-788/853-एस.एस. दिनांक 18.02.2020 के अनुसार असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी. के निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों को अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 11 में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से Ad-hoc promotion दी गई है :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	पद, जिस पर पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तारीख	वेतन मेट्रिक्स	अभ्युक्ति
1	ए. के. रथ अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	19.02.2020 (पूर्वाहन)	लेवल 11	—
2	मो० एस. रहमान अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	19.02.2020 (पूर्वाहन)	लेवल 11	—

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-788/853-एस.एस. दिनांक 18.02.2020

सेवा निवृत्ति (Superannuation)

2.

असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी के निम्नवर्णित अधिकारी/स्टाफ उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से सेवा-निवृत्त हो गये हैं :-

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तारीख
1	श्रीमती रेखा मेघ, मानचित्रकार डिवीजन ।	31.12.2019 (अपराहन)
2	श्री पी. एन. बर्मन, एम.टी.एस. (दफ्तरी)	31.12.2019 (अपराहन)
3	श्री गणेश तालुकदार, एम.टी.एस. (दफ्तरी)	31.01.2020 (अपराहन)

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

वितरण :- 1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।

2. अपर महासर्वेक्षक— पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता ; पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग; मध्य क्षेत्र, जबलपुर ; पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर ; उत्तरीक्षेत्र, लखनऊ; दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलोर ; विशिष्ट सेवा क्षेत्र, देहरादून ; सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान , हैदराबाद ; प्रिंटिंग जोन, हैदराबाद को सूचनार्थ ।
3. अपर महासर्वेक्षक/निदेशक, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी., मध्य प्रदेश जी.डी.सी., महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., राजस्थान जी.डी.सी., आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., छत्तीसगढ़ जी.डी.सी.,पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड जी.डी.सी., पंजाब, चण्डीगढ़ एवं हरियाणा जी.डी.सी., जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., बिहार जी.डी.सी., पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., उड़ीसा जी.डी.सी., झारखण्ड जी.डी.सी., गुजरात, दमन एवं दीउ जी.डी.सी., कर्नाटक जी.डी.सी., तमिलनाडु, पोंडीचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह जी.डी.सी., केरल एवं लक्षद्वीप जी.डी.सी., सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी.डी.सी., जी.आई.एस. एवं रिमोट सेंसिंग निदेशालय, एन.जी.डी.सी. जी. एण्ड आर. बी., बी. एण्ड पी., एन.एस.डी.आई., अन्तर्राष्ट्रीय बाउंड्री निदेशालय, डी.एस.एस.डी.आई., डी.एम.सी. ई.पी.जी., एस.पी.जी., डब्ल्यू.पी.जी.
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
5. प्रभारी लिपिकवर्गीय अनुभाग; अ0 एवं ना0 जी.डी.सी., गुवाहाटी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. सभी संबंधित अधिकारी के सेवा-पंजिका में प्रविष्टि हेतु ।
7. सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाईट पर अपलोड हेतु एक प्रति ।